न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या : 97/ Gcms No. 2021/263

दायरा तिथि : 06.10.2021

आदेश तिथिः 22-6-2022

<u>अपीलान्टः–</u>

सोहनलाल पुत्र धनाराम जाति साद

निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. पेमीबाई पत्नि पकाराम जाति चौधरी निवासी बेडल
2. मगीबाई पुत्री धनाराम जाति साद निवासी बेडल
3. ताराबाई पुत्री धनाराम जाति साद निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली जिला पाली (राज0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल तहसील बाली

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. श्री विक्रमसिंह सोलंकी............... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से

दिनांक : 22-6-2022

–:: निर्णय ::–

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

<u>(विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 726 दिनांक 20.05.2016 को ग्राम पंचायत बेडल द्वारा स्वीकृत किया गया)</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प बेडल में दिनांक 06.10.2021 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेडल में स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर पेपीबाई पत्नि पकाराम चौधरी का 1/3 हिस्सा में नाम गलत तौर पर दर्ज हुआ है। प्रार्थी व उसके भाई मांगीलाल, जयरामदास व बहिन मगीबाई एवं ताराबाई के द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर की रजिस्ट्री दिनांक 26.02.2016 को पेपीबाई के पक्ष मे करवाई थी, लेकिन पटवारी हल्का की गलती से पुरे खसरा नंबर 229, 410, 411 का बेचान मानते हुये पेपीबाई पत्नि पकाराम का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा मे मगीबाई का नाम व 1/3 हिस्सा मे ताराबाई का नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थी सोहनलाल, जयरामदास, मांगीलाल का नाम इस खाते से हटा दिया। अतः बेचान किये खसरा नंबर 83 को छोड कर शेष खसरा नंबर 229, 410, 411 मे प्रार्थी सोहनलाल, मांगीलाल, जयरामदास, मगीबाई, ताराबाई का नाम हिस्से अनुसार शुद्धि के द्वारा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केम्प मे प्रस्तुत होने तथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26.02.2016 के अनुसार नामान्तरकरण नही होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सो– मोटो अपील मानते हुये प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट पेपीबाई पत्नि पकाराम को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं साथ ही तहसीलदार, बाली से प्रकरण मे रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पोडेन्ट पेपीबाई की ओर से वकील श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने पैरवी की। प्रकरण मे तहसीलदार, बाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर मेंसे खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर का ही बेचान पेपीबाई पत्नि पकाराम को किया गया, परन्तु दाखिल नामान्तरकरण संख्या 726 मे त्रुटिवश बेचानकर्ता मगीबाई, ताराबाई पुत्रिया धनाराम का नाम यथावत रह गया, तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 726 का अमल दरामद करते समय संपुर्ण भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल खसरा–4 कुल रकबा 1.05 हैक्टर मे खरीदकर्ता पेपीबाई पत्नि पकाराम का नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर का बेचान रजिस्ट्री के अनुसार पेपीबाई पत्नि पकाराम चौधरी को खातेदार दर्ज करने तथा खसरा नंबर 229, 410, 411 रकबा क्रमशः 0.34 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का खातेदार मांगीलाल, जयरामदास, सोहनलाल पि. धना व मगीबाई, ताराबाई पुत्रया धनाराम कौम साद को दर्ज किये जाने की अनुशषा की गई। वकील रेस्पोडेन्ट श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने भी बेचान रजिस्ट्री के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नही होने तथा उसका अमल दरामद भी त्रुटिपुर्ण तौर पर किये जाने से बेचान रजिस्ट्री के अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एव वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम बेडल स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर के सबंध मे दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 726 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को नामान्तरकरण की प्रति आदेश के साथ भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर की भूमि का खरीदकर्ता पेपीबाई पत्नि पकाराम कौम चौधरी निवासी बेडल के नाम नामान्तरकरण दर्ज करे एव साथ ही बेडल के खसरा नबर 229, 410, 411 रकबा क्रमशः 0.34 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम से पेपीबाई पत्नि पकाराम का नाम विलोपित कर पुर्व खातेदार मांगीलाल, जयरामदास, सोहनलाल पि. धना एव ताराबाई, मगीबाई पुत्रिया धनाराम कौम साद के नाम दर्ज करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री [illegible])

आई.ए.एस

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी

बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 22-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व अपील संख्या : 97/ Gcms No. 2021/263
दायरा तिथि : 06.10.2021
आदेश तिथि: 22-6-2022

<u>अपीलान्टः–</u>
सोहनलाल पुत्र धनाराम जाति साद
निवासी बेडल तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

रेस्पोडेन्टस :–

1. पेपीबाई पत्नि पकाराम जाति चौधरी निवासी बेडल
2. मगीबाई पुत्री धनाराम जाति साद निवासी बेडल
3. ताराबाई पुत्री धनाराम जाति साद निवासी बेडल
   तहसील बाली जिला पाली जिला पाली (राज0)
4. सरपंच ग्राम पंचायत, बेडल तहसील बाली

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट स्वयं उपस्थित।
2. श्री विक्रमसिंह सोलंकी.............. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या–01 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 22-6-2022

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956
<u>(विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 726 दिनांक 20.05.2016 को ग्राम पंचायत बेडल द्वारा स्वीकृत किया गया)</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी ने प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 केम्प बेडल में दिनांक 06.10.2021 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बेडल में स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर पेपीबाई पत्नि पकाराम चौधरी का 1/3 हिस्सा में नाम गलत तौर पर दर्ज हुआ है। प्रार्थी व उसके भाई मांगीलाल, जयरामदास व बहिन मगीबाई एवं ताराबाई के द्वारा खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर की रजिस्ट्री दिनांक 26.02.2016 को पेपीबाई के पक्ष में करवाई थी, लेकिन पटवारी हल्का की गलती से पुरे खसरा नंबर 229, 410, 411 का बेचान मानते हुये पेपीबाई पत्नि पकाराम का 1/3 हिस्सा व 1/3 हिस्सा में मगीबाई का नाम व 1/3 हिस्सा में ताराबाई का नाम दर्ज कर दिया। प्रार्थी सोहनलाल, जयरामदास, मांगीलाल का नाम इस खाते से हटा दिया। अतः बेचान किये खसरा नंबर 83 को छोड कर शेष खसरा नंबर 229, 410, 411 में प्रार्थी सोहनलाल, मांगीलाल, जयरामदास, मगीबाई, ताराबाई का नाम हिस्से अनुसार शुद्धि के द्वारा दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र केम्प में प्रस्तुत होने तथा बेचान रजिस्ट्री दिनांक 26.02.2016 के अनुसार नामान्तरकरण नहीं होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को सो– मोटो अपील मानते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की गई। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट पेपीबाई पत्नि पकाराम को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया एवं साथ ही तहसीलदार, बाली से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। रेस्पोडेन्ट पेपीबाई की ओर से वकील श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने पैरवी की। प्रकरण में तहसीलदार, बाली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर मेंसे खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर का ही बेचान पेपीबाई पत्नि पकाराम को किया गया, परन्तु दाखिल नामान्तरकरण संख्या 726 में त्रुटिवश बेचानकर्ता मगीबाई, ताराबाई पुत्रिया धनाराम का नाम यथावत रह गया, तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 726 का अमल दरामद करते समय संपुर्ण भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल खसरा–4 कुल रकबा 1.05 हैक्टर में खरीदकर्ता पेपीबाई पत्नि पकाराम का नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर का बेचान रजिस्ट्री के अनुसार पेपीबाई पत्नि पकाराम चौधरी को खातेदार दर्ज करने तथा खसरा नंबर 229, 410, 411 रकबा क्रमशः 0.34 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम का खातेदार मांगीलाल, जयरामदास, सोहनलाल पि. धना व मगीबाई, ताराबाई पुत्रया धनाराम कौम साद को दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई। वकील रेस्पोडेन्ट श्री विक्रमसिंह सोलंकी ने भी बेचान रजिस्ट्री के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज नहीं होने तथा उसका अमल दरामद भी त्रुटिपुर्ण तौर पर किये जाने से बेचान रजिस्ट्री के अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने की दलील दी।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम बेडल स्थित भूमि खसरा नंबर 83, 229, 410, 411 कुल रकबा 1.05 हैक्टर के सबंध में दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 726 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, बाली को नामान्तरकरण की प्रति आदेश के साथ भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम बेडल के खसरा नंबर 83 रकबा 0.50 हैक्टर की भूमि का खरीदकर्ता पेपीबाई पत्नि पकाराम कौम चौधरी निवासी बेडल के नाम नामान्तरकरण दर्ज करे एवं साथ ही बेडल के खसरा नंबर 229, 410, 411 रकबा क्रमशः 0.34 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 0.11 हैक्टर किस्म बारानी दोयम से पेपीबाई पत्नि पकाराम का नाम विलोपित कर पुर्व खातेदार मांगीलाल, जयरामदास, सोहनलाल पि. धना एवं ताराबाई, मगीबाई पुत्रिया धनाराम कौम साद के नाम दर्ज करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, बेडल को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला-पाली (राज.)
(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 22-6-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली

Scanned with CamScanner